

गुप्त राजव्यवस्था के विभिन्न पहलू

राजा

1. राजा सभी शक्तियों का प्रतीक था।
2. राजा के प्रभुत्व का विघटन व राजा की प्रभावी शक्तियों की घटती महत्ता दृष्टिगोचर होती है।
3. राजा का एक महत्वपूर्ण शाही कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म की देखरेख करना था।
4. व्यवहार में शाही शक्तियों के ऊपर तीन शक्तियों का अंकुश था ये थी—ब्राह्मण, सामंत व व्यवसायिक निकाय।
5. राजा, भूमि के स्वामित्व के साथ जुड़ा हुआ था—वह अपने सभी प्रदेशों की सभी भूमियों का वैध स्वामी माना जाता था इसने उसके भूमि कर व भू अनुदान के अधिकार को वैधता प्रदान कर दी।

मंत्रिपरिषद

1. मंत्रिपरिषद एक अस्पष्ट इकाई प्रतीत होती है।
2. मंत्री विभिन्न पदों से जाने जाते थे जैसे मंत्री, अमात्य, सचिव।
3. पद, वंशानुगत होता था व एक ही परिवार में कई पीढ़ियों में चलता रहता था।
4. मंत्री या सलाहकार, गुप्त राजव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

सैनिक प्रशासन

1. राजा एक स्थायी सेना रखता था, जिसकी संपूर्णता सामंतों की सेना द्वारा हो जाती थी। गुप्त काल में अश्वरोही सेना का महत्व बढ़ गया तथा घुड़सवार एवं धनुर्धर सेना के महत्वपूर्ण भाग बन गए। सेना को नकद वेतन दिया जाता था।
2. अश्वरोही सेना की महत्ता का ज्ञान प्राप्त मोहरों व शिलालेखों से लगता है, जिसमें अश्वपति, महाश्वपति, भतस्वपति का उल्लेख है। प्रारम्भिक गुप्त चार्टर से से हाथी के प्रबंध से संबंधित किसी अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
3. अन्य सैन्य अधिकारी थे—महाबलाधिकर्ता, महाप्रथर, गालामिक। अन्तिम दो अधिकारी पूर्वी गुप्त शिलालेखों से जाने जाते हैं, परन्तु प्रथम इस युग का नया सैनिक कार्यकर्ता प्रतीत होता है।
4. सैनिक अधिकारी गोलपिका का उल्लेख एक छोटे सेना अधिकारी के रूप में मिलता है, जिसके पास सिपाहियों की एक छोटी टुकड़ी का कार्यभार होता था। संभवतः वह कृषकों या असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई अराजकता के समय असैनिक इकाई के रूप में कार्य करता था।

राजस्व प्रशासन

1. गुप्त काल की कर प्रणाली इतनी विस्तृत व संघटित नहीं थी। ग्रामीणों को विविध प्रचलित कर देने पड़ते थे, उनको 'हिरण्य' या नगद भी देना पड़ता था परन्तु इसका वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं है। शिल्पियों को भी कुछ शुल्क देना पड़ता था, व्यापारियों को व्यापारिक वस्तुओं पर कर देना पड़ता था जो कि सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा लगाए व वसूल किए जाते थे।
2. 'पुस्तमाल' नाम से जाना जाने वाला अधिकारी भूमि निगम के चार्टरों की देख रेख करता था व ग्रामीण लेखाकार 'ग्रामअक्षपतलधिकट्ट' गांव की भूमियों के चार्टरों को संरक्षित रखता था।
3. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्राप्त करों की सूची, गुप्त शिलालेखों में पाए करों से कहीं अधिक लम्बी है।
4. शाही भाग, उपज के 1/6 भाग से अधिक नहीं होता था।
5. भू-अनुदान से संबंधित उल्लेखित राजस्व अधिकारियों का संबंध भू-राजस्व के निर्धारण व एकत्रिकरण से होता था।

6. भूमि दस्तावेज की देख रेख ग्रामक्षपतलाधिक या देशक्षपतलाधिक करता था जो कि लेखाकार व पटवारी के रूप में कार्य करता था। मुंशी, दिविरा कर्निका, कायरथ इत्यादि कहलाते थे। वे प्रमुख रूप से राजस्व विभाग में कार्यरत थे।
7. राजस्व विभिन्न रूपों में लिया जाता था, धनी कृषक नकद कर देते थे।
8. ऐसा अधिकारी जो करों को नकद रूप में इकट्ठा करता था हिरण्यस्मुदायिका कहलाता था।
9. वह अधिकारी जो वस्तुओं के मार्ग कर को इकट्ठा करने का कार्य करता था सौलकिक कहलाता था।

राजनीतिक-प्रशासनिक इकाईयाँ

1. गुप्त शासक द्वारा नियंत्रित साम्राज्य कई प्रान्तों में विभाजित था।
2. भुक्ति, गुप्त शासक के अंतर्गत सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, और ऐसे कम से कम छः भाग और थे जो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैले हुए थे।
3. गुप्त राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी गर्वनर होता था, परन्तु भुक्ति शब्द के शाब्दिक अर्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने अंतर्गत क्षेत्र में संचालन की अपेक्षा उसका उद्देश्य आनन्द इत्यादि का अधिक होता था।
4. भुक्ति विषय या जिलों में बंटा हुआ था जिसकी संख्या अभी ज्ञात नहीं है।
5. विश, विठियों में विभाजित था।

भुक्ति

1. गुप्त काल में प्रान्त के रूप में प्रतिस्थापित था।
2. राष्ट्र और देश के नाम से भी जाना जाता था।
3. उपरिकर द्वारा इसका शासन किया जाता था।
4. उपरिकर, राजा द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते थे।

विषय

1. जिले स्तर की प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रतिस्थापित था।
2. इसके प्रमुख को विषयपति और आयुक्त के नाम से जाना जाता था।
3. प्रांतों के प्रमुखों (उपरिकार) द्वारा विषयपति की नियुक्ति होती थी।
4. विषय स्तर पर स्थानीय तत्वों का प्रशासन में सहभागिता थी।
5. जिला स्तर का एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता पुस्तपाल था जिसका कार्य रिकार्डों को रखना था।

विठि

1. साम्राज्य के पूर्वी भाग में प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रतिस्थापित था।
2. आयुक्त प्रमुख के रूप में कार्य करता था।
3. विठि गांवों से मिलकर बने थे व ये गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाईयाँ थी। गुप्त अभिलेखों व मुहरों में इनका उल्लेख है।

ग्राम

1. ग्रामीण प्रशासन में स्वायत्तता का ऊँचा स्तर ग्राम के रूप में जाना जाता था।
2. राज्य गांवों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे।
3. गांवों के प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन गांव के प्रमुख द्वारा गांव के बुजुर्गों (ग्रामवृद्ध) की सहायता से किया जाता था।